

कार्यालय ,रक्षा लेखा नियंत्रक नं. 1स्टाफ रोड, सिकिंद्राबाद , Office of the Controller Of Defence Accounts No.1 Staff Road, Secunderabad-500 009 (Tele:040-27843385 / 27847957 Fax: 040-27810499)

(Email id: <u>secd-anpaysn-cda@nic.in</u>)

सं./No. AN PAY/5043/IT/Corr



Date: 05.03.2024

महत्वपूर्ण परिपत्र /(IMPORTANT CIRCULAR)

सेवा में,/To,

र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सभी उप-कार्यालय/All the sub-offices under CDA, Secunderabad मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग/All the sections in Main Office

विषय: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की कटौती और जीपीएफ अंशदान में परिवर्तन ।

Sub: Change in GPF Subscription and Deduction of Income Tax for the FY 2024-25

@@@@@

इस संगठन के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे <u>8 **मार्च 2024 तक**</u> निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित विवरण अवश्य प्रस्तुत करें।

It is enjoined upon all the officers/ staff of this organization to furnish the following details in the prescribed format as shown below **by 8th March 2024** positively.

- क) यदि 03/2024 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीपीएफ अंशदान में कोई परिवर्तन करना है तो प्रस्तुत करें। यह भी सुनुश्चित किया जाना चाहिए कि जीपीएफ अंशदान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जीपीएफ नियमों के अनुसार अनुमेय अधिकतम/न्यूनतम सीमा के भीतर होनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह वित्तीय वर्ष में 5 लाख की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- a) Change in GPF Subscription w.e.f 03/2024, if any, for the year FY 2024-25 may be submitted. It may also be ensured that GPF subscription should be within the maximum/minimum limit permissible as per GPF Rules issued by GOI from time to time and also ensure that it should not exceed the total amount of 5 Lakh ceiling in financial year.
- ख) आयकर. अधिनियम, 1961, की धारा 192(1) के अनुसरण में, आहरण और संवितरण अधिकारी को वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन पर आयकर कटौती का कार्य सौपा जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुमानित आधार पर वेतन से आयकर की गणना की जाएगी और तदनुसार वसूली की जाएगी।
- b) In pursuance of Section 192(1) of IT ACT, 1961, the Drawing and Disbursing Officer is entrusted with the duty of deduction of Income Tax on the salaries paid to employees during the financial year and the income tax from salaries is to be computed on estimated basis at the beginning of each financial year and recovery will be made accordingly.

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की संशोधित वित्त विधेयक 2023 की धारा 115BAC की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो नई कर व्यवस्था मूल कर व्यवस्था है, फिर भी करदाताओं के पास आयकर कटौती की पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होता है अर्थात प्रभावी वित्तीय वर्ष 01.04.2024 से 31.03.2025 के लिए दर/गणना।

Further, attention is drawn to Section 115BAC, Income Tax Act, 1961, amended in Finance Bill, 2023 the New Tax regime is the default Tax regime, however, the tax payers have an option to choose Old Regime of Income Tax Deduction, Viz., the rate/calculation for the F.Y. w.e.f. 01.04.2024 to 31.03.2025.

सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस कार्यालय के ट्यूलिप पीएमएस में विकल्प को अपडेट करने के लिए 'पुरानी कर व्यवस्था' को उद्धृत करते हुए अपने विकल्प का प्रयोंग करें। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प वित्तीय वर्ष 31.03.2025 तक के लिए अंतिम होगा।

All the Officers and Staff are hereby requested to exercise their option duly quoting 'Old Tax Regime' so as to enable this office to update the option in Tulip PMS. <u>The Option once exercised</u> will be final upto the end of the F.Y. 31.03.2025.

इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि:

Further it is intimated that:

1. नई कर व्यवस्था में कुल सकल आय की गणना किसी विशिष्ट कटौती या छूट आदि का दावा किए बिना की जाएगी।

In New Tax Regime, the total Gross Income will be calculated without claiming any specific deduction and exemptions etc.

2. पुरानी कर व्यवस्था में वर्ष 2023-24 तक लागू सभी छूट और कटौतियाँ ली जाएगी । In Old Tax Regime, will continue to take into all exemptions and deductions as applicable upto 2023-24.

'पुरानी कर व्यवस्था' का विकल्प चुनने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने आयकर बचत दस्तावेज (जैसे किराए के समझौते के साथ किराए की रसीदें/ वित्त बिल के सेक्शन 194-1 के अनुसार वित्त वर्ष में 240000/- से अधिक किराया भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए ट्रेस से जनरेट किया हुआ फार्म 16B, एल.आई.सी. प्रीमियम रसीदें, पी.पी.एफ. रसीदें, गृह ऋण के लिए अनंतिम भुगतान प्रमाण पत्र, ट्यूशन शुल्क रसीदें आदि) सभी दस्तावेजों को विधिवत निर्दिष्ठ करते हुए एक आवेदन के साथ कार्यालय/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित कराते हुए दिनांक 31.08.2024 तक निश्चित रूप से जमा करें, तािक इस कार्यालय को कर देनदारी का सही आकंलन करने और तदनुसार आयकर की वसूली करने में सक्षम बनाया जा सके। यदि बचत के लिए मािसक भुगतान किया जा रहा है, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बचत की जाने वाली कुल रािश का उल्लेख आवेदन में किया जाए।

All the officers and staff who is opting for 'Old Tax Regime' are also requested to submit their Income Tax Saving Documents (like Rent Receipts along with rent agreement/Form 16B generated in traces of the individual paying rent where the total rent paid for the FY is in access of ₹ 240000/- as per section 194-I of Finance Bill, LIC Premium Receipts, PPF Receipts, Provisional Payment Certificate for Home Loan, Tuition Fee Receipts etc) along with an application duly specifying all the documents attached which should be forwarded by the Officer i/c of the office/section on or before 31.08.2024 positively, to enable this office to arrive at the tax liability correctly and effect recovery of Income Tax, accordingly. If any monthly payments are being made towards savings, the total amount to be considered for savings for the FY 2024-25 may be mentioned in the application.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, र.ले.नि., सिकंदराबाद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उनकी सकल आय के अनुसार कटौती की जाने वाले जीपीएफ अंशदान और आयकर राशि का उल्लेख करें।

In view of the above, all the officers and staff under CDA, Secunderabad are also requested to mention the amount of GPF subscription and Income Tax to be deducted as per their Gross Income for the FY 2024-25.

कृपया इस परिपत्र की सामग्री को आपके कार्यालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए, इसमें छुट्टी पर गए लोग भी शामिल हैं और संदर्भ को नोट करके उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाए और रिकॉर्ड में रखा जाए।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all the officers/ staff working in your office, including those on leave and their signatures in token of having noted the contents may be obtained and kept on record.

(निखिल दुबे) सहायक नियंत्रक(प्रशा/वेतन)

<u>प्रतिलिपि /Copy to</u> : प्रभारी लेखा अधिकारी/ The AO ई.डी.पी. (स्थानीय)/ EDP (Local)

वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु For uploading in website

> (श्रीनिवास राव वुलिचि) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशा-वेतन)